

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म0प्र0
आदेश

क्रमांक- 310 / दो-11-1 / 15

शाजापुर, दिनांक 01.05.2019

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमती सविता ओगल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर के दिनांक-01.05.2019 से 17.05.2019 तक कुल 17 दिवस के संतान पालन अवकाश पर होने से उनके अवकाश से लौटने तक उक्त न्यायालय में पदस्थ श्री अनिल वर्मा, साक्ष्य लेखक की ड्यूटी न्यायालय श्री महेश कुमार माली, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, शाजापुर के न्यायालय में लगाई जाती है ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।



जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01.05.2019

पृष्ठांक- 2606 / दो-11-1 / 2015

प्रतिलिपि:-

01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर
02. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, शाजापुर
की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
03. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, शाजापुर
की ओर जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर

श्री अनिल वर्मा